विद्यालयी शिक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्य एवं अध्यापकों की भूमिका

ज्योति कुमारी*
दीपा मेहता**

किसी भी समाज में परिवर्तन और सामाजिक सामंजस्य तथा समरसता को बढ़ाने में अध्यापकों ने सदैव योगदान दिया है। सदियों से अध्यापक भावी समाज के निर्माण में अपना योगदान करते आए हैं। प्रजातंत्रीय समाज के विद्यालय में अध्यापक का स्थान एक मित्र, पथ-प्रदर्शक, समाज सुधारक तथा नेतृत्वकर्ता के रूप में होता है। विद्यार्थियों में प्रजातंत्र के प्रति आस्था, आदर तथा मूल्यों की भावना उत्पन्न करने का दायित्व भी अध्यापक का है। अध्यापक विद्यार्थियों की सामूहिक चर्चा का नेतृत्व करता है, सामाजिक अनुभवों का पथ-प्रर्दशन करता है तथा विद्यार्थियों को नेतृत्व का प्रशिक्षण देता है। अध्यापकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में मूल्य शिक्षा के अवसर तलाशें। विद्यालयी स्तर पर विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्य— समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, प्रेम, सहनशीलता, पंथनिरपेक्षता एवं पर्यावरण आदि के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने का विशेष प्रयास करना होगा जिसे 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में भी शिक्षा का बुनियादी आधार बताया गया है। इस क्रम में अध्यापकों में इन मूल्यों को अपनाने एवं बढ़ावा देने के लिए सक्षम बनाने की आवश्यकता है। इस लेख में विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास व संवर्द्धन में अध्यापकों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की गई है।

प्रजातंत्र जीवनयापन की एक ऐसी शैली है, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। प्रजातंत्र समान अधिकार, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, सहनशीलता एवं सहभागिता के सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिद्धांत किसी जाति, धर्म, जेंडर अथवा व्यक्ति विशेष के लिए न होकर, वरन् सभी के लिए होते हैं। प्रजातंत्र केवल एक शासन व्यवस्था ही नहीं है, अपितु यह एक प्रगतिशील विचारधारा है। प्रजातंत्र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्र को भी अनेक अर्थों में प्रभावित करता है। सामाजिक व्यवस्था के रूप में प्रजातंत्र एक ऐसी विचारधारा है जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं बंधुत्व की भावना के आधार पर समाज को गठित करता है।

हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित है कि— 'हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और

* *शोधार्थी*, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 221 005
** *एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 221 005

अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत दो हज़ार छह विक्रमी) को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं' (बसु, 2008)।

संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका से स्पष्ट है कि ऐसे नागरिकों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे भारत को एक प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया जा सके। संविधान में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत में निवास करने वाले समस्त नागरिकों को सामाजिक, नागरिक, आर्थिक, विविध धर्मों के मूल तत्वों और प्रजातांत्रिक मूल्यों की शिक्षा देना अपरिहार्य है। इस प्रकार, भारतीय संविधान अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों को प्रजातांत्रिक मूल्यों, जैसे— स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, पंथनिरपेक्षता, व्यक्ति की गरिमा, समाजवाद व सहयोग की भावना का स्पष्ट ज्ञान कराए जाने और उन्हें इन सिद्धांतों पर आधारित प्रजातांत्रिक जीवन शैली में प्रशिक्षित किए जाने की अनिवार्यता को महसूस करता है। जिसमें विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 व *2005* में मूल्य शिक्षा का उल्लेख प्रमुख रूप से किया गया है और इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि मूल्य शिक्षा को अलग से न देखकर शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का ही हिस्सा बनाया जाए। साथ ही *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* के पाँचवें मार्गदर्शी सिद्धांत में भी राष्ट्रीय मूल्यों में आस्था रखने वाले नागरिकों के निर्माण की बात की गई है। इन बातों से अध्यापकों की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है और अपेक्षा यह है कि वे शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में मूल्य शिक्षा को सम्मिलित कर विद्यार्थियों में मूल्य संवर्धन के अवसर तलाशें। देश में प्रजातंत्र की सफलता के लिए विद्यार्थियों में राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना एवं समझ के साथ उत्तरदायित्व की भावना का बोध होना ज़रूरी है। एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र के रूप में हम एक मुखर व सक्रिय लोकतंत्र को कायम रखने में सफल हुए हैं। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952) द्वारा की गई परिकल्पना स्मरण योग्य है—

"लोकतंत्र में नागरिकता की परिभाषा में कई बौद्धिक, सामाजिक व नैतिक गुण शामिल होते हैं— एक लोकतांत्रिक नागरिक में सच को झूठ से अलग छाँटने, प्रचार से तथ्य अलग करने, धर्मांधता और पूर्वाग्रहों के खतरनाक आर्कषण को अस्वीकार करने की समझ व बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए... वह न पुराने को इसलिए नकारे क्योंकि वह पुराना है और न ही नए को इसलिए स्वीकार करे क्योंकि वह नया है। बल्कि उसे निष्पक्ष रूप से दोनों को परखना चाहिए और साहस से उसको नकार देना चाहिए जो न्याय व प्रगति के बल को अवरूद्ध करता हो।" (*राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*, पृष्ठ संख्या 7–8)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली की ओर इंगित करती है जो सभी को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराके भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने

के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षाविधि विद्यार्थियों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, जैसे— सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, वैज्ञानिक चिंतन, सेवा की भावना, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करेगी तथा विद्यार्थियों के विचार, व्यवहार, बुद्धि, ज्ञान, कौशल मूल्यों और सोच में भारतीयता की भावना को विकसित करेगी। जिससे वे मानवाधिकार, स्थायी विकास, जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो सकें और सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें।

प्रजातंत्र— संकल्पना और आदर्श

प्रजातंत्र पर अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि, 'प्रजातंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है' (पचौरी 2009)। यदि शासन शब्द से हमारा तात्पर्य राजनीतिक व्यवस्था है तो प्रजातंत्र एक प्रकार का शासन ही नहीं, बल्कि जीवनयापन का एक ढंग भी है। जीवनयापन की रीति से उनका तात्पर्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करना है, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो अथवा आर्थिक (शर्मा, 2006)। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49) की रिपोर्ट में लिखा है— 'लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं वरन् जीवनयापन की एक रीति भी है। लोकतंत्र समान अधिकार तथा समान स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित रहता है। ये सिद्धांत किसी जाति विशेष अथवा व्यक्ति विशेष के लिए नहीं वरन् सभी के लिए है (शर्मा, 2006)।

वास्तव में, प्रजातंत्र एक व्यापक संप्रत्यय है जिसे राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों अर्थों में लिया जाता है। इन तीनों ही क्षेत्रों में प्रजातंत्रीय आदर्श स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भातृत्व को लागू करना ही प्रजातंत्र की स्थापना है। अगर हमें प्रजातंत्र को शासन चलाने की प्रणाली मात्र नहीं, बल्कि एक जीवन शैली के रूप में पोषित करना है तो संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक तत्वों व मौलिक कर्तव्यों में निहित मूल्यों की शिक्षा देनी होगी। जो इस प्रकार है—

1. **समानता**— भारत का संविधान सभी नागरिकों को स्थिति व अवसर की समानता का आश्वासन देता है। समानता से तात्पर्य धर्म, जाति, सांस्कृतिक विभिन्नता या पैतृक स्थान के बिना, सभी को विधि के सम्मुख दी जाने वाली राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता से है।
2. **स्वतंत्रता**— स्वतंत्रता के अभाव में मानव अपनी शक्तियों का विकास नहीं कर पाता है। भारतीय प्रजातंत्र में नागरिकों को विभिन्न स्वतंत्रताएँ, जैसे— वाक् स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति, उपजीविका आदि की स्वतंत्रता प्राप्त है। व्यक्ति इन स्वतंत्रताओं का उपयोग तभी सफलतापूर्वक कर सकता है जब वह दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों को अपने ही अधिकारों के समान मानेगा।
3. **बंधुत्व**— स्वतंत्रता एवं समानता के बीच समन्वय लाने का कार्य बंधुत्व या भातृत्व करता है। एक नागरिक के लिए आवश्यक है कि समाज में भाइचारे की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए वह समानता, न्याय व स्वतंत्रता के सिद्धांतों को आत्मसात करे।

4. **न्याय**— लोकतांत्रिक व्यवस्था न्याय पर आधारित होनी चाहिए। न्याय से तात्पर्य संपूर्ण भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को दिए जाने वाले एकसमान न्याय से है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष, संगठन या समूह के प्रति पक्षपात न किया जाए। सभी को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय उपलब्ध कराना लोकतंत्र को दृढ़ करने के लिए अनिवार्य है।
5. **सहयोग**— सहयोग से तात्पर्य सभी व्यक्तियों में मौजूद आंतरिक अच्छाई के आधार पर प्रेम, एकता, एक-दूसरे के सुख-दुख, विपत्ति एवं समृद्धि में सहयोग की भावना से है।
6. **पंथनिरपेक्षता**— भारत एक पंथनिरपेक्ष गणराज्य है। इसका अर्थ है कि यहाँ सभी आस्थाओं का आदर किया जाता है। लेकिन साथ ही भारतीय गणराज्य किसी आस्था विशेष को अपेक्षाकृत अधिक श्रेष्ठ नहीं मानता है। आज बच्चों में सभी लोगों के प्रति चाहे वे किसी भी धर्म के हों; समान आदरभाव पोषित करने की ज़रूरत है।

प्रजातंत्र और शिक्षा—अंतर्संबंध

शिक्षा और प्रजातंत्र का घनिष्ठ संबंध है। उपयुक्त शिक्षा के अभाव में प्रजातंत्र की सफलता संदिग्ध है। प्रजातंत्र जनमत पर आधारित है और जनमत को प्रबुद्ध बनाना शिक्षा का कार्य है। यदि लोग शिक्षित हैं, यदि वे स्वतंत्र रूप से विचार कर सकते हैं और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यवहार में उतार सकते हैं, तो प्रजातंत्र सफल होगा। यदि लोग सत्य और असत्य में भेद कर सकते हैं और विचार की यथार्थता को समझ सकते हैं तो प्रजातंत्र का संचालन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यह सब कार्य शिक्षा द्वारा संभव है। लोगों में इस प्रकार की क्षमता का विकास करना शिक्षा का कार्य है।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा स्थापित डेलर्स कमीशन (1996) ने इक्कीसवीं शताब्दी में शिक्षा का उद्देश्य व स्वरूप कैसा हो? इस पर अपनी रिपोर्ट 'लर्निंग— द ट्रेसर विदइन' प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में दो बिंदु बताए गए हैं— (1) जीवन भर सीखना एवं (2) शिक्षा के चार स्तंभ जो इस प्रकार हैं—

1. **जानने के लिए सीखना (लर्निंग टू नो)**— अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल, साक्षरता, गणितीय व तार्किक चिंतन में सहयोग करना। जिससे वे संसार की जटिलता को समझ सकें और भविष्य में सीखने के लिए उन्हें पर्याप्त आधार प्राप्त हो सके।
2. **करने के लिए सीखना (लर्निंग टू डू)**— अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को कौशल से दक्षता की ओर प्रवृत्त करना। जिससे वे व्यावसायिक कौशल का अभ्यास अपने व्यवसाय में दक्षता से कर सकें और प्रभावी ढंग से वैश्विक अर्थव्यवस्था व समाज की प्रगति एवं उत्थान में भाग लेने में सक्षम हो सकें।
3. **बनने के लिए सीखना (लर्निंग टू बी)**— अध्यापकों का दायित्व है कि विद्यार्थियों के स्वयं के व्यक्तिगत-सामाजिक गुणों, जैसे— आत्मसम्मान, देखभाल, भावात्मक बुद्धि, समीक्षात्मक चिंतन, सांस्कृतिक जागरूकता व संवेदनशीलता को विकसित करने में सहयोग दें। ताकि वे अपने व्यक्तिगत, सामाजिक और शैक्षणिक जीवन के प्रत्येक पहलू में एक अच्छे नागरिक के दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

4. **साथ रहने के लिए सीखना (लर्निंग टू लीव टुगेदर)**— अध्यापकों का दायित्व है कि विद्यार्थियों में एक साथ रहने, एक साथ मिलकर कार्य करने, एक-दूसरे की देखभाल करने, सहानुभूति, तदनुभूति, आपसी प्रेम, सामाजिक कौशल और प्रजातांत्रिक मूल्यों को विकसित करें। जिससे वे समाज में सबके साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से जीवनयापन कर सकें।

डेलर्स कमीशन द्वारा भविष्य की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, मानवाधिकार, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, सहकारी भावना, शांति, प्रेम, अहिंसा एवं जीवनपर्यंत शिक्षा को प्रमुखता दी गई है।

शिक्षा, प्रजातंत्र का हथियार है और जब तक सबके लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती, प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता है। केवल प्रबुद्ध नागरिक समुदाय ही प्रजातंत्र की सहायता और सुरक्षा कर सकते हैं। केवल शिक्षा ही व्यक्तियों को उनके कर्तव्य और ज़िम्मेदारियों को समझने के योग्य बना सकती है और उन्हें प्रजातांत्रिक समाज व्यवस्था के उपयोगी सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। प्रजातंत्र में शिक्षण संस्थाओं के पास अनेक ज़िम्मेदारियाँ हैं और केवल सुचारू रूप से संगठित शैक्षिक कार्यक्रम के द्वारा ही प्रजातांत्रिक आदर्शों की प्राप्ति संभव है। इस संदर्भ में *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* में जो कहा गया वह विचारणीय है—

"शिक्षा के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, हमारे सहभागिता आधारित लोकतंत्र व संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों (समानता, न्याय, स्वतंत्रता, परोपकार, धर्मनिरपेक्षता, मानवीय गरिमा व अधिकार, दूसरों के प्रति आदर जैसे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता) को सुदृढ़ करना व विद्यार्थियों को उनसे परिचित कराना। इस चुनौती का सामना करने का अर्थ है कि हम गुणवत्तापूर्वक और सामाजिक न्याय को पाठ्यचर्या का केंद्रीय बिंदु बनाए। साथ ही नागरिकता के प्रशिक्षण को अनिवार्य रूप से औपचारिक शिक्षा में सम्मिलित करें।" (पृष्ठ संख्या 46)

प्रजातंत्र में शिक्षा का अत्यंत व्यापक अर्थ है और इसका संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है। जिससे वह अपनी शक्तियों और संभावनाओं का अपने विकास के लिए पूर्ण रूप से उपयोग कर सके और साथ ही साथ समाज की उन्नति में भी अपना योगदान दे सके। शिक्षा और प्रजातंत्र के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) ने स्पष्ट कहा है कि, "लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्ति में सम्मान व योग्यता की आस्था पर आधारित होता है। अतः लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का पूर्ण व चहुँमुखी विकास करना अर्थात् एक ऐसी शिक्षा जो विद्यार्थियों को एक समुदाय में जीने की बहुआयामी कला में दक्ष करे। बहरहाल यह स्पष्ट है कि एक व्यक्ति अकेले न तो रह सकता है और न ही विकसित हो सकता है। उस शिक्षा का कोई लाभ नहीं है, जो अपने साथी नागरिकों के साथ शालीनता, सामंजस्य, कार्य कुशलता के साथ जीने की शैली के लिए आवश्यक गुणों को पोषित न करती हो।" (माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1952–53, पृष्ठ संख्या 20)

भारतीय संविधान में शिक्षा को नागरिकों का मौलिक अधिकार माना गया है। भारतीय नागरिक अपने शिक्षा संबंधी मूल अधिकार का प्रयोग कर

सकें इसके लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। प्रारंभ में संविधान के अनुच्छेद 45 में यह घोषणा की गई थी कि राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि के अंदर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु की समाप्ति तक नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रबंध करने का प्रयास करेगा। इस दिशा में छियासिवाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 एक बड़ा कदम है। इसमें अनुच्छेद जोड़ा गया है, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6–14 वर्ष के सभी बालकों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करेगा। संविधान के अनुच्छेद में नागरिकों को जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। शिक्षा के मौलिक अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए संसद द्वारा *नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009* पारित किया गया जो 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ। *शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009,* 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

प्रजातंत्र में शिक्षा की अवहेलना नहीं की जा सकती है। प्रजातांत्रिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि हमारे भावी नागरिक हमारी संस्कृति, सभ्यता, कला एवं ज्ञान-विज्ञान से परिचित हों, जिससे वे समय आने पर इनके स्थायित्व एवं विकास में अपना योगदान दे सकें। यह कार्य शिक्षा द्वारा ही पूर्ण होता है। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा हमारी संस्कृति का संरक्षण तथा उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण किया जा सकता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का संतुलित एवं सर्वांगीण विकास करना है। साथ ही साथ उसके चरित्र का भी निर्माण करना है जिससे कि वह एक योग्य, चरित्रवान एवं सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बन सके और अपने जीवन के सभी कार्य उदारता, निष्पक्षता, ईमानदारी एवं कुशलता से कर सके। यह तभी संभव है जब शिक्षा द्वारा व्यक्ति की चिंतन शक्ति, तर्कशक्ति, सूझ-बूझ आदि का विकास हो। अतः प्रजातंत्र व शिक्षा आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं।

प्रजातांत्रिक मूल्यों के संवर्धन में अध्यापक की भूमिका

प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में अध्यापक का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रजातंत्र में अध्यापक मुख्य रूप से समाज के प्रति उत्तरदायी रहता है। उसकी वफ़ादारी शासन के साथ-साथ विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के प्रति भी होनी चाहिए। प्रजातंत्रीय शिक्षा का आदर्श है कि विद्यार्थियों में अच्छी आदतें विकसित की जाएँ एवं उनके चरित्र का उन्नयन किया जाए और यह तभी संभव है जब अध्यापक स्वयं सद्चरित हों।

प्रजातंत्र की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसके विद्यार्थी जो कि भावी नागरिक हैं, कितने जागरूक, चैतन्य व विवेकशील हैं। उनका दृष्टिकोण कितना व्यापक, उदार एवं वैज्ञानिक है। उनमें तर्क, चिंतन व निर्णय लेने की क्षमता है या नहीं। विद्यार्थियों में इन सबका निर्धारण अध्यापक द्वारा ही किया जाता है। नागरिकों में लोकतांत्रिक गुणों को विकसित करने की शैक्षिक आवश्यकता के अध्ययन पर बल देते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) ने लिखा है, "लोकतंत्र में नागरिकता एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें बहुत से बौद्धिक, सामाजिक तथा नैतिक गुण निहित हैं

जिनके अपने आप विकसित होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है"। (पृष्ठ संख्या 23)

इस प्रकार स्पष्ट है कि आयोग ने माना कि विद्यार्थियों में इन गुणों को विकसित करने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। अतः देश के अध्यापकों को इस प्रशिक्षण को प्रदान करने का दायित्व अपने ऊपर लेना होगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सितंबर, 2015 में सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी. 2030) की प्राप्ति हेतु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसकी थीम— 'ट्रांसफ़ारमिंग अवर वर्ल्ड— द 2030 एजेंडा फ़ॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' था। सतत विकास लक्ष्यों (2030) के वैश्विक लक्ष्यों में गरीबी खत्म करना, भुखमरी की समाप्ति, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को प्रोत्साहन, सभी के लिए शांति और न्याय सुनिश्चित करना प्रमुख लक्ष्य है। इन लक्ष्यों के क्रियान्वयन व प्राप्ति में अध्यापकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अध्यापकों द्वारा सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और अधिगम को सुगम व ग्राह्य बनाने के लिए शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया को पुर्नगठित करने की आवश्यकता होगी ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

किसी भी समाज में परिवर्तन को समझने के लिए और सामाजिक समरसता तथा सामंजस्य को बढ़ाने में अध्यापकों ने सदैव योगदान दिया है। सदियों से अध्यापक भावी समाज के निर्माण में अपना योगदान करते आए हैं। प्रजातंत्रीय समाज के विद्यालयों में अध्यापक का स्थान एक मित्र, पथ-प्रदर्शक, समाज सुधारक तथा नेता के रूप में होता है, जिससे वह अपने विद्यार्थियों तथा समाज का समुचित रूप से पथ-प्रदर्शन कर सके। अध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समाज में सार्थक परिवर्तन लाकर उसे प्रगति की ओर अग्रसर करे। इसके लिए उसमें आवश्यक गुणों की अपेक्षा की जाती है। ताकि वह विद्यार्थियों में उचित क्रियाकलापों द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों का संवर्धन कर सके।

- वह एक योग्य नागरिक हो तथा प्रजातांत्रिक आदर्शों, मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, सहयोग, व्यक्ति की गरिमा, पंथ निरपेक्षता एवं सहनशीलता में पूर्ण निष्ठा रखता हो।
- अध्यापक में अपने विद्यार्थियों को समझने तथा पथ-प्रदर्शन करने की क्षमता हो, ताकि एक योग्य नागरिक बनाने में सफल हो सके।
- वह लोकतांत्रिक आदर्शों व मूल्यों के अनुसार प्रशिक्षित किया गया हो।
- अध्यापक को सद्चरित होना चाहिए, ताकि वह समाज तथा विद्यार्थियों का सम्मान प्राप्त कर सके और अपने उदाहरणों एवं सिद्धांतों द्वारा उनका नेतृत्व करने में सफल हो सके।
- वर्तमान समय में अध्यापकों का दायित्व यह भी है कि वे अपने विद्यार्थियों के भावात्मक पक्ष का परिष्कार करें एवं उन्हें संवेगात्मक रूप से परिपक्व नागरिक बनने में सहायता करें एवं विद्यार्थियों में दूसरों के प्रति सहानुभूति, सहयोग, प्रेम, साहस व बंधुत्व की भावना उत्पन्न कर उन्हें स्वयं तथा दूसरों को चिंता, तनाव तथा बेचैनी से उबरने में मदद करने योग्य बना सकें।

- विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों को विकसित करने में अध्यापकों द्वारा अपनाई गई शिक्षण युक्तियाँ भी महत्वपूर्ण होती हैं। इस दिशा में कुछ शोध अध्ययन व लेख प्राप्त हुए हैं जिसमें विद्यार्थियों के मूल्यों के विकास पर विभिन्न शिक्षण युक्तियों के प्रभाव का अध्ययन किया गया था, जिनका विवरण यथोचित है। शोध अध्ययन के परिणामों में पाण्डेय (1989) ने वाद-विवाद, कहानी विधि तथा कठपुतली व खेल विधि को मूल्य संवर्धन में प्रभावशाली विधि पाया। प्रिन्ट और स्मिथ (2007) ने अपने शोध परिणाम में बताया कि यदि अध्यापक उपयुक्त शिक्षण युक्तियों का चयन कराता है तो विद्यार्थियों में मूल्यों का विकास तीव्र होता है। सुधीर (1998) ने अपने लेख में विद्यार्थियों में उच्च मानवीय मूल्य विकसित करने के लिए रोल मॉड्लिंग शेपिंग तथा टोकन टास्क शिक्षण युक्ति को अन्य विधियों की तुलना में अधिक प्रभावी बताया। सिंह (2013) ने शोध अध्ययन के परिणाम में पाया कि विद्यार्थियों के नागरिक भाव तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर परंपरागत शिक्षण की तुलना में मॉड्यूल शिक्षण का सार्थक प्रभाव पड़ता है।
- पाठ्यवस्तु को जितने सरल एवं रोचक तरीके से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा उतने ही अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। राधाकृष्णन ने मूल्यों को सार्वभौमिक मानते हुए नवीन शिक्षण विधियों तथा विद्यार्थियों के सम्मुख नवीन परिस्थितियों में इन्हें प्रस्तुत किए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने अपने लेख में विद्यार्थियों में मूल्यों के विकास के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन का समर्थन किया, विभिन्न प्रकार के मूल्यों (प्रेम, आत्मसंयम, संतोष, सच्चाई) के विकास के लिए ड्रामा प्रविधि, खेल प्रविधि के माध्यम से शिक्षण का समर्थन किया।
- अध्यापकों द्वारा सामाजिक विज्ञान विषय शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों में तत्कालीन ज्वलंत मुद्दों, जैसे— गरीबी, भुखमरी, पर्यावरणीय समस्याएँ, जाति एवं वर्ग के आधार पर भेदभाव, सामाजिक-आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, धार्मिक असहिष्णुता एवं बेरोज़गारी पर अंतर्विषयक वाद-विवाद विधि द्वारा चर्चा करके उनमें प्रजातांत्रिक मूल्यों को विकसित किया जा सकता है। इतिहास विषय के अध्यायों में ऐतिहासिक चरित्रों के चारित्रिक गुणों को अध्यापक द्वारा प्रभावशाली व्याख्यान, सह प्रदर्शन विधि एवं उदाहरण द्वारा विद्यार्थियों में उपयुक्त मूल्य शिक्षा विकसित की जा सकती है।
- भाषा शिक्षण के अध्यायों में सम्मिलित कहानियाँ, निबंध, नाटक, संस्मरण, कविताएँ और उपन्यास स्वयं में मूल्य शिक्षा को समेटे होते हैं। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को इनमें वर्णित पात्रों की भूमिका-निर्वाह करने तथा स्वयं भी उन मूल्यों को आत्मसात कर जीवंत उदाहरण बनाकर प्रजातांत्रिक मूल्यों का संवर्धन करना चाहिए। विद्यार्थियों को अच्छे साहित्य पढ़ने हेतु प्रेरित करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी उस साहित्य में व्यक्त संस्मरण, अनुभव, घटना, कहानी या उदाहरणों से सीख लेते हुए अपने जीवन को खुशहाल व मूल्यपरक बना सकें।
- अध्यापकों द्वारा विभिन्न प्रकार की खेलकूद व पाठ्यचर्या पर आधारित गतिविधियों में सभी विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित कराना,

ताकि उनमें आपसी प्रेम, सहयोग, व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, न्याय, सदाचरण, सत्य, अहिंसा और शांति जैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो सके।

- अध्यापक द्वारा कक्षा में मूल्य आधारित कहानियों पर बनी फ़िल्में दिखाना और उनसे संबंधित विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना और चर्चा करके उनमें मूल्यों का संवर्धन करना। विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों की शिक्षा हेतु शिक्षा की प्रक्रिया सहयोग के आधार पर चलनी चाहिए। कक्षा के समस्त कार्य अध्यापक और विद्यार्थी के सहयोग से होने चाहिए। अध्यापक को एक सहायक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए।
- अध्यापक को विद्यार्थियों के साथ प्रेमपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण एवं न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उसे किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए ताकि विद्यार्थियों के मन में अध्यापक के प्रति श्रद्धा की भावना पैदा हो सके और वे उन सभी मूल्यों को आत्मसात कर सकें।
- अध्यापक द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों, जैसे— समानता, स्वतंत्रता, न्याय, प्रेम, भ्रातृत्व, बहादुरी, ईमानदारी, पंथ निरपेक्षता, सहयोग व सहनशीलता से संबंधित प्रकरण जो अखबारों व पत्रिकाओं में छपे हों, उन्हें विद्यार्थियों की सहभागिता से कक्षा में रोचक ढंग से पढ़ाना। ताकि उनमें प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास व संवर्धन हो सके।
- अध्यापकों को विद्यालय का वातावरण शांत, सरल, प्रभावपूर्ण और भयरहित बनाना होगा ताकि विद्यार्थियों को पर्याप्त विकास का अवसर मिल सके और वे प्रजातांत्रिक मूल्यों को आत्मसात कर सकें।
- विद्यार्थियों को प्रजातांत्रिक मूल्यों की शिक्षा देने और उन्हें प्रजातांत्रिक जीवन शैली में प्रशिक्षित करने के लिए अध्यापकों को प्रजातांत्रिक मूल्यों से संबंधित लघुनाटक, गीत-गायन और कविता पाठ का आयोजन कराना चाहिए।
- विद्यालयी स्तर पर अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को सभी धर्मों की मूल शिक्षा का सार बताते हुए वर्तमान में उसकी आवश्यकता व उपादेयता पर प्रकाश डालना चाहिए। विद्यालय में सभी धर्मों से संबंधित त्यौहारों एवं उत्सवों के महत्व, उनके विविध स्वरूपों एवं विशेषताओं के बारे में विद्यार्थियों को सोदाहरण बताना चाहिए। जिससे उनमें धार्मिक सहिष्णुता, एकता, प्रेम, बंधुत्व, एक-दूसरे के प्रति सम्मान व सहयोग की भावना का विकास हो सके।
- अध्यापकों को कक्षा में महान व्यक्तियों की जीवनी, उनके द्वारा दिए गए भाषण व वक्तव्यों पर आधारित श्रृव्य-दृश्य सामग्री विद्यार्थियों को दिखानी व सुनानी चाहिए ताकि वे महान व्यक्तियों के जीवन में आए संघर्षों और कठिनाइयों से परिचित व प्रेरित होकर तथा भविष्य में स्वयं के समक्ष आने वाली समस्याओं व कठिनाइयों का उचित व नैतिक निदान निकालने में सक्षम हो सकें।
- अध्यापकों द्वारा विद्यालय में समय-समय पर बाल-सभा का आयोजन, कला, पेंटिंग, योग, स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, सिलाई-कढ़ाई, बुनाई का कार्य, वृक्षारोपण, संगीत, नृत्य, सामूहिक प्रोजेक्ट कार्य आदि विविध क्रियाकलापों का अभ्यास कराया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में आपसी प्रेम, सहयोग की भावना, समानता, स्वतंत्रता व

भ्रातृत्व जैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास व संवर्धन किया जा सकता है।

उपसंहार

वैश्विक परिदृश्य में भारतवर्ष ने स्वयं को सशक्त प्रजातांत्रिक देश के रूप में प्रतिष्ठित किया है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों से यह अपेक्षा करता है कि वे प्रजातांत्रिक मूल्यों, जैसे— व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता, पंथनिरपेक्षता, न्याय, सहयोग, सहनशीलता का पालन करें। परंतु वर्तमान भारतीय नागरिकों के प्रजातांत्रिक मूल्यों में निरंतर गिरावट आ रही है। विश्व के समस्त देशों से संबंधित विभिन्न सूचकांकों में भारत की स्थिति विचारणीय है। *विश्व लोकतांत्रिक सूचकांक (2020)* में शामिल 167 देशों में भारत का स्थान निम्नतम में से एक है। इस रिपोर्ट में भारत को कुल 6.61 अंक (53वीं रैंक) के साथ दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। वहीं *सतत विकास रिपोर्ट (2020)* में शामिल 193 देशों में भारत का एस.डी.जी. स्कोर 100 में 61.9 अंक के साथ 117 पायदान पर है। इन वैश्विक सूचकांकों की रिपोर्ट के आधार पर भारत की एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थिति विचारणीय व चिंतन करने योग्य है। अतः वर्तमान में भारतीय समाज को उच्च प्रजातांत्रिक मूल्यों से युक्त नागरिकों की अत्यंत आवश्यकता है। विद्यार्थी जो कि देश के भावी नागरिक व कर्णधार हैं, उनमें प्रजातांत्रिक मूल्यों को विकसित करने की ज़िम्मेदारी शिक्षा व्यवस्था की है, जिसमें अध्यापकों की ज़िम्मेदारी प्रत्यक्ष रूप से होती है।

प्रत्येक अध्यापक अपने विद्यार्थियों का आदर्श होता है। विद्यार्थियों को विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों की शिक्षा देने से पहले, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मूल्य केंद्रित पाठ्यक्रम पुनर्संरचना तथा उनका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। साथ ही, सेवारत एवं सेवा-पूर्व अध्यापकों के लिए भारतीय संस्कृति एवं विविधता को ध्यान में रखकर व्यावहारिक स्तर पर कार्यशाला एवं संगोष्ठी जैसे कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर कराया जाना चाहिए। ताकि प्रत्येक अध्यापक, चाहे वह सेवारत हो या सेवा-पूर्व स्वयं प्रजातांत्रिक मूल्यों को आत्मसात करने के साथ-साथ मूल्य शिक्षण की योजनाओं, विविध क्रियाकलापों, कौशलों, युक्तियों और विधियों में स्वयं को प्रशिक्षित कर सके तथा अपने विद्यार्थियों की व्यावहारिक समस्याओं से अवगत हो सके। अत: ऐसे अध्यापक अपने विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत कर सकेंगे तथा उनमें भी मूल्य संवर्धन एवं समावेशन करने का कौशल विकसित कर सकेंगे।

संदर्भ

इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस. डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020- इन सिकनेस एंड इन हेल्थ? 20 जून, 2021 को https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/ से प्राप्त किया गया है.

डेलर, जे. और अन्य. 1996. *लर्निंग— द ट्रेसर विदइन*. यूनेस्को, पेरिस.

द *हिंदू*. 6 जून 2021. इंडिया स्लिप्स टू स्पोट्स टू रैंक 117 ऑन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स— रिपोर्ट नयी दिल्ली 20 जून, 2021 को https://www.thehindu.com/news/national/india-slips-two-spots-to-rank-117-on-achieving-sustainable-development-goals-report/article34744187.ece से प्राप्त किया गया है.

पचौरी, गिरीश. 2009. *शिक्षा दर्शन*. विनय खनेजा, मेरठ.

पाण्डेय, एन. 1989. *ए कम्पेरेटिव स्टडी ऑफ़ द इफ़ेक्टीवनेस ऑफ़ सेलेक्टेड मेथड्स इंपेरेटिंग इंस्ट्रक्शन इन मोरल वैल्यूज़ एंड देयर डेवलपमेंट एमांग अपर प्राइमरी लेवल चिल्ड्रन*. अनपब्लिश्ड डॉक्टोरल डिज़रटेशन (एजुकेशन). बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी.

प्रिंट, एम. और ए. स्मिथ. 2007. सिटिज़नशीप एजुकेशन एंड यूथ पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी. *ब्रिटिश जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल स्टडीज़*. 55 (3), पृष्ठ संख्या 325–345.

बसु, दुर्गा दास. 2008. *भारत का संविधान— एक परिचय*. बाधवा एंड कंपनी, नयी दिल्ली.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. *शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009*. विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

———. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

यूनाइटेड नेशंस. 2015. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स— 2015. *ट्रांसफ़ारमिंग अवर वर्ल्ड— द 2030 एजेंडा फ़ॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट*. यूनाइटेड नेशंस, न्यूयॉर्क.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

———. *यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948–49*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

शर्मा, रामनाथ और राजेन्द्र कुमार शर्मा. 2006. *शैक्षिक समाजशास्त्र*. एटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नयी दिल्ली.

शिक्षा मंत्रालय.1952. *सेकंडरी एजुकेशन कमीशन 1952–53*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

सिंह, एस. 2013. *डेवलपमेंट ऑफ़ मॉड्यूलर ऑफ़ एजुकेशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक सिटिज़नशीप एंड स्टडी ऑफ़ इट्स इफ़ैक्टीवनेस ऑन स्टुडेंट ऑफ़ क्लास VIII*. अनपब्लिश्ड डॉक्टोरल डिज़रटेशन (एजुकेशन). बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी.

सुधीर, एम.ए. 1998. ह्यूमन वैल्यूज़— स्ट्रेटजीज़ फ़ॉर डेवलपमेंट. *जर्नल ऑफ़ वैल्यू एजुकेशन*. वॉल्यूम 38, पृष्ठ संख्या 29–32. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.